

अध्याय

7

प्रकटीकरण और पारदर्शिता

7.1 प्रकटीकरण विवरण

एफ आर बी एम अधिनियम केंद्र सरकार को अपने वित्तीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा निर्धारित प्रारूपों में कर एवं गैर-कर राजस्व के बकाया, गारंटी, परिसंपत्तियों एवं वार्षिकी पर देयता से संबंधित अनिवार्य प्रकटीकरण करने हेतु उचित कदम उठाने की अपेक्षा करते हैं। यह अध्याय सरकारी लेखों में पारदर्शिता एवं अनिवार्य प्रकटीकरण विवरण के भाग के रूप में प्रदान की गई सूचनाओं का परीक्षण करता है।

- डी 1 कर राजस्व की मांग जो वसूल नहीं हुई
- डी 2 गैर-कर राजस्व का बकाया
- डी 3 सरकार द्वारा दी गई गारंटियां
- डी 4 परिसंपत्ति पंजिका
- डी 5 वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता

7.2 प्रकटीकरण प्रपत्रों में पारदर्शिता

एफ आर बी एम अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन में, पांच प्रकटीकरण प्रपत्र²⁵ अन्य बजट दस्तावेजों के साथ संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। इन प्रपत्रों की जांच से प्रकटीकरणों में अपर्याप्तता का पता चला, जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

7.2.1 गैर-कर राजस्व की बकाया राशि के प्रकटीकरण में असंगति

वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकार को देय गैरकर राजस्व की बकाया राशि-, जैसा कि एफ आर बी एम अनिवार्य प्रकटीकरण विवरण डी-2 में दर्शाया गया था, यू जी एफ ए के साथ अनुरूपता में नहीं थी।

एफ आर बी एम नियमों के नियम 6 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण के अनुसार, गैर-कर राजस्व (एन टी आर) के बकाया का विवरण प्राप्त बजट में दिया गया है।

सी ए जी के प्रतिवेदनों में बार-बार उस वर्ष के प्राप्त बजट में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, वाणिज्यिक विभाग उपक्रमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त ब्याज प्राप्तियों के रूप में प्रकट की गई राशियों की तुलना में यू जी एफ ए के माध्यम से प्रकट किए गए आंकड़ों के

²⁵ 2018 में एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन से पहले, कुल छह प्रकटीकरण प्रपत्र निर्धारित किए गए थे। तदनुसार, फॉर्म डी-6 'पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान' तब से वित्त वर्ष 2018-19 से बंद कर दिया गया है।

मध्य अंतर इंगित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित असंगतियां एवं भिन्नताएं आकृति 7.1 में दर्शायी गयीं हैं।

आकृति 7.1: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बकाया ब्याज के प्रकटीकरण में असंगति

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	ब्याज बकाया		अंतर
	प्राप्ति बजट -2021 22	यू जी एफ ए -201920	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार	1,656	3,582	1,926
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम	16,956	35,073	18,117

स्रोत: प्राप्ति बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं संघ सरकार वित्त लेखा वित्तीय वर्ष 2019-20

मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितंबर 2021) कि प्राप्ति बजट में प्रकटीकरण विवरण संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार किया जाता है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 से, बजट प्रभाग, डी ई ए ने विवरण भरने के लिए सभी मंत्रालयों को ऑनलाइन उपयोगिता-केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली प्रदान की है ताकि प्रकटीकरण विवरण में अधिक स्पष्टता एवं सुदृढ़ता प्राप्त हो सके।

तथ्य यह है कि मंत्रालय ने इस संबंध में सही प्रकटीकरण सुनिश्चित नहीं किया है।

7.2.2 विदेशी सरकारों को दिए गए ऋण के आंकड़ों में असंगति

प्राप्ति बजट में एफ आर बी एम अनिवार्य प्रकटीकरण विवरण में दर्शाये गए विदेशी सरकारों को दिए गए ऋण के आँकड़े प्राप्ति बजट के परिसंपत्ति एवं देयता विवरण से भिन्न थे ।

सरकार की भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित एफ आर बी एम नियमावली 2004 के नियम 6 के अनुसार प्रकटीकरण के परीक्षण में, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में ₹14,751.13 करोड़ की राशि को विदेशी सरकारों से बकाया ऋण के रूप में दर्शाया गया था। दूसरी ओर, प्राप्ति बजट वित्तीय वर्ष -202122 की परिसंपत्तियों एवं देयता विवरण तथा यू जी एफ ए वित्तीय वर्ष 2020-19 में निहित समान सूचनाओं से ज्ञात हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-19 के अंत में विदेशी सरकारों से ऋण के रूप में ₹14,227.77 करोड़ की राशि बकाया थी।

मंत्रालय ने उत्तर में कहा (सितम्बर 2021) कि समस्त संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त इनपुट को एफ आर बी एम अनुभाग में संकलित मात्र किया जाता है तथा नियम 6 के अंतर्गत समेकित परिसंपत्ति पंजिका तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त, यू जी एफ ए वित्तीय वर्ष

2019-20 में यू जी एफ ए सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में नहीं था, जबकि बजट प्रपत्रों को अंतिम रूप दिया गया था एवं 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परिसंपत्ति एवं देयता के विवरण तथा एफ आर बी एम के अंतर्गत प्रकटीकरण विवरण में उल्लिखित आंकड़े, दोनों एक ही प्राप्ति बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 में निहित थे। अतः समाधान किया जाना चाहिए था।

मंत्रालय ने टिप्पणी को स्वीकार कर लिया (फरवरी 2022) और अंतर को कम करने के लिए हितधारकों के साथ काम करने का आश्वासन दिया।

7.2.3 परिसंपत्ति पंजिका के विवरणों के प्रकटीकरण में भिन्नता

परिसंपत्ति पंजिका पर एफ आर बी एम अनिवार्य विवरण में, यह पाया गया कि प्रारंभिक शेष राशि पिछले वर्ष के समापन शेष से भिन्न थी, और इसका खुलासा विवरण में नहीं किया गया था।

एफ आर बी एम नियमावली 2004 के नियम 6(1)(सी) के अनुसार, सार्वजनिक हित में अपने वित्तीय संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार, वार्षिक वित्तीय विवरण एवं अनुदान मांगों को प्रस्तुत करते समय, व्याख्यात्मक टिप्पणियां, यदि कोई हो, के साथ एक परिसंपत्तियों के विवरण का प्रकटीकरण करेगी। यह प्रकटीकरण सरकार की भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित है।

प्राप्ति बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 ने संघ सरकार की परिसंपत्तियों का विवरण जैसा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में था, प्रदान किया। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के प्राप्ति बजटों की लेखापरीक्षा परीक्षण से परिसंपत्तियों के अंतिम एवं प्रारंभिक शेषों में भिन्नता पायी गयी, जैसा कि आकृति 7.2 में दर्शाया गया है। इस भिन्नता को विवरण में भी दर्शाया नहीं गया था।

आकृति 7.2 : परिसंपत्तियों के मूल्य में अंतर

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में कुल परिसंपत्ति का कुल योग	वित्तीय वर्ष 2019-20 की शुरुआत में परिसंपत्ति	अंतर
16,99,853.14	16,90,945.08	8,908.06

जवाब में, मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2021) कि वित्त वर्ष 2018-19 के अंतिम शेष एवं वित्त वर्ष 2019-20 के प्रारंभिक शेष के मध्य का अंतर कुछ विशिष्ट मांगों (अर्थात रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग, उद्योग व आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के विभाग तथा युवा कार्यक्रम मंत्रालय आदि) के कारण था। आगे यह कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से, बजट प्रभाग, डीईए ने समस्त मंत्रालयों को स्वतः विवरण भरने हेतु यू बी आई एस पर एक

उपयोगी सेवा प्रदान की है तथा अंतिम शेष एवं प्रारंभिक शेष में अंतर के प्रकरणों में टिप्पणियों का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है।

मंत्रालय ने आगे तर्क दिया (फरवरी 2022) कि सभी भिन्नताओं का उल्लेख करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था क्योंकि यह विवरण को बहुत बड़ा बना देगा। हालांकि यह देखा गया कि न तो पिछले वर्ष के अंतिम आंकड़े, और न ही चालू वर्ष के शुरुआती शेष से अंतर का प्रकटीकरण विवरण में किया गया था। इस प्रकार, प्रकटीकरण काफी हद तक अपूर्ण है।


7.3 देयताओं के आकड़ों में अंतर

यू जी एफ ए में निहित वित्त वर्ष -201920 के लिए केंद्र सरकार की देयतायें प्राप्ति बजट में वर्णित देयताओं से भिन्न हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्राप्ति बजट में, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार की देयताओं को दर्शाने वाला एक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया था। देयताओं का समान विवरण संघ सरकार के वित्त लेखा (यू जी एफ ए) में भी दिया गया था। आकृति 7.3 वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में सरकार की देयताओं की स्थिति में प्राप्ति बजट एवं यू जी एफ ए के बीच अंतर को दर्शाता है।

आकृति 7.3: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए देयताओं की राशि में अंतर

(₹ करोड़ में)



स्रोत: प्राप्ति बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं यू जी एफ ए वित्तीय वर्ष 2019-20

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि प्राप्ति बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 के पृष्ठ (iii) पर परिचयात्मक टिप्पणी में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक अनंतिय थे। 1 फरवरी 2021 को संसद में बजट प्रस्तुत किया गया था तथा उस समय यू जी एफ ए वित्तीय वर्ष

2019-20 के लिए उपलब्ध नहीं था। मंत्रालय ने आगे तर्क दिया (फरवरी 2022) कि प्राप्ति बजट में देयता विवरण संघ सरकार के वित्त खातों में अंकित की गई संख्या के मिलान के बाद सरकार की शुद्ध देयता को दर्शाता है।

हालांकि कि, तथ्य यह है कि प्राप्ति बजट में उल्लिखित देयता आकड़ों और यू जी एफ ए में उल्लिखित आकड़ों में अंतर था और ऋण के घटक जो बजट दस्तावेजों की तैयारी/अंतिम रूप से अनंतिम थे, का प्रकटीकरण किया जाना चाहिए था।

7.4 सुझाव

सिफारिश 7ए: वित्त मंत्रालय बजट दस्तावेजों, एफ आर बी एम अधिनियम अनिवार्य प्रकटीकरण और संघ खातों में दी गई जानकारी की समानता सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतर समन्वय तंत्र स्थापित कर सकता है।

नई दिल्ली

दिनांक: 27 जुलाई 2022



(अमनदीप चड्ढा)

महानिदेशक लेखापरीक्षा

वित्त एवं संचार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 28 जुलाई 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक